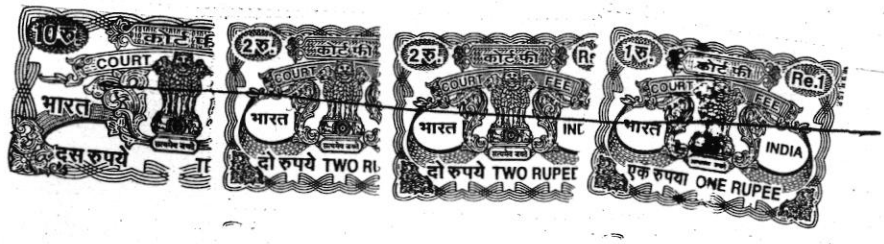

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी / 2014/ पन्ना

R-74-III/14

उमा प्रसाद गर्ग पुत्र श्री मोतीलाल गर्ग, निवासी– पहाड़ी खेरा, तहसील व जिला पन्ना, म.प्र.

श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभि. द्वारा आज दि. 6-1-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-1-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

..............आवेदक

बनाम

राजमणि पुत्र श्री सहदेव गर्ग, निवासी– पहाड़ी खेरा, तहसील व जिला पन्ना, म.प्र.

...........अनावेदक

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 06/01/2014

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार पन्ना के प्रकरण क्रमांक 79/2011–12 आदेश दिनांक 13.11.2013 एवं 12.12.13 के विरूद्ध प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

निगरानी के आधार :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बहाय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय रिकॉर्ड सूक्षमता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया, वह स्थिर रखे जाने योग्य नही।
3. यहकि, विवादित आराजी ग्राम पहाड़ी खेरा की भूमि सर्वे नम्बर

उमा प्रसाद गर्ग

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-74-दो/2014 **जिला** पन्ना उमाप्रसाद **विरूद्ध** राजमणि गर्ग

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 06-09-2018 को आवेदक के अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन के तर्क सुने जा चुके है । 2. अनावेदक राजमणि गर्ग के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन के द्वारा दिनांक 06-09-2018 को व्यवहावरवाद अपील क्रमांक 43ए/2013 उमाप्रसाद(अपीलार्थी/वादी) विरूद्ध राजमणि गर्ग(पत्यर्थी/प्रतिवादी) व म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक 24-09-2014 एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा WP No. 3348/2005 राजमनी गर्ग विरूद्ध उमाप्रसाद में पारित आदेश दिनांक 21-06-2012 की प्रतिलिपियां पेश की है । 3. व्यवहारवाद में पारित आदेश अनुसार श्री उमाप्रसाद(निगरानीकर्ता) का विषयांकित भूमि के संबंध में वाद-दावा खारिज किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा WP 3488/2005 में पारित आदेश दिनांक 21-06-2012 से अपर आयुक्त सागर संभाग का आदेश दिनांक 08-08-2001 एवं राजस्व मण्डल म.प्र. का आदेश दिनांक 23-12-2002 निरस्त किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश अनुसार उमाप्रसाद (वर्तमान प्रकरण में निगरानीकर्ता) को अपर आयुक्त व राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी के अधिकार नहीं थे । 4. अत: उपरोक्त विवेचना के अनुक्रम में श्री उमाप्रसाद के द्वारा नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 79 अ-6(अ) वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 13-11-2013 एवं 12-12-2013 के विरूद्ध निगरानी निरस्त की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में अपनी कार्यवाही म.प्र. शासन का पक्ष भी सुनकर गुण-दोष के आधार पर करे । सदस्य 11.9.18	